

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222395
CG-DL-E-13102020-222395

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3139]
No. 3139]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर, 12, 2020/ आश्विन 20, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3551(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तलवंडी सबो (NH254) के कि.मी 132.3 से 155.65 पंजाब राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH254 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH254 के कि.मी. 132.3 से 155.65 तक	पंजाब	बठिंडा	तलवंडी साबो	1जोधपुर बग्गा सिंह उर्फ फलरान (116)
						2सेखो (117)
						3चक हीरा सिंघवाला उर्फ पक्का खुर्द (115)
						4पक्का कलां (114)
						5अमरपुरा उर्फ गुरुथरी (112)
						6सुखलदहि (39)
						7बाघा (119)
						8तरखानवाला (118)
						9कमालु (120)
						10कमालु (87)
						11गुरुथरी

[फा. सं. RW/CH/NH-254/PB/2018-19/509/W(667)/2020]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2020

S.O. 3551(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 132.3 to 155.65 of Sub Divisional Magistrate, Talwandi Sabo (NH254) in the State of PUNJAB.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH254 in the State of PUNJAB.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Magistrate	132.3KM To 155.65KM	PUNJAB	BATHINDA	Talwandi Sabo	1 Jodhpur Bagga Singh Alias Phalran (116)
						2 Sekho (117)
						3 Chak Hira Singhwala Urf Pakka Khurd (115)
						4 Pakka Kalan (114)
						5 Amarpura Urf Gurthuri (112)
						6 Sukhladhi (39)
						7 Bagha (119)
						8 Tarkhanwala (118)
						9 Kamalu (120)
						10 Kamalu (87)
						11 Gurthari

[F. No. RW/CH/NH-254/PB/2018-19/509/W(667)/2020]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.